

कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद

पत्रांक:—1636/बाखमु/मा0 एन0जी0टी0, आदेश कुमार यादव, दिनांक:—26/7/24

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 603/2023 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 603/2023 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में अनुपालन आख्या पत्र के साथ संलग्न कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(अनुज सिंह)
जिलाधिकारी
मुरादाबाद

संख्या एवं दिनांक: तदैव
प्रतिलिपि—

1. मुख्य अभियन्ता, (पूर्वी गंगा), सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, मुरादाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बौद्ध बिहार, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अनुज सिंह)
जिलाधिकारी
मुरादाबाद

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-603/2023, आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 12.04.2024 की अनुपालन आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-603/2023, आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ग्राम मिलक खरगपुर बाजे, पोस्ट कटघर, ब्लॉक मुंडा पांडे, तहसील व जिला मुरादाबाद जबकि मा0 अधिकरण को प्रेषित शिकायत में स्थल का नाम ग्राम मिलक खरगपुर बाजे के स्थान पर ग्राम हृदयपुर अंकित किया गया है, में निर्माणाधीन एच0पी0सी0एल0 गैस प्लान्ट के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक:-05.02.2024 का सुसंगत अंश निम्नवत् है-


6. In the meanwhile, District Magistrate, Moradabad is also directed to get the demarcation of the flood plain zone of the river in question done in accordance with the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 and file the report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF.


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या:-603/2023, आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक:-05.02.2024 की अनुपालना आख्या जो जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 के आदेशासुनार उन्हें उपलब्ध करा दी गयी थी, (संलग्नक-01) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक:-12.04.2024 को प्रकरण निस्तारित कर प्रत्येक त्रैमास में फ्लड प्लेन जोन के सीमांकन की प्रगति मा0 एन0जी0टी0 को उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये गये है।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, जल विज्ञान भवन रुड़की (उत्तराखण्ड) से रामगंगा नदी के दोनों किनारों पर (कालागढ़ बांध से प्रारम्भ) जनपद बिजनौर से कन्नौज तक फ्लड प्लेन के सीमांकन हेतु रु0 112.10 लाख का प्रस्ताव/प्रोफार्मा बिल न्यूनतम होने के फलस्वरूप राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, जल विज्ञान भवन रुड़की (उत्तराखण्ड) को भुगतान बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद द्वारा भुगतान कर दिया गया था। राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, जल विज्ञान भवन रुड़की (उत्तराखण्ड) द्वारा अवगत कराया गया था कि रामगंगा नदी के फ्लड प्लेन जोन (FPZ) के सीमांकन हेतु कोर्डिनेट (Latitude/Longitude) निर्धारण का कार्य लगभग 12 माह में पूर्ण होगा। इसके उपरान्त विभाग द्वारा रामगंगा नदी के दोनों किनारों पर फ्लड प्लेन जोन के सीमांकन (Demarcation) का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

वर्तमान में राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान जल विज्ञान भवन रुड़की (उत्तराखण्ड) द्वारा इस खण्ड से ई-मेल (दिनांक:-02.07.2024) के माध्यम से रामगंगा नदी के दोनों किनारों पर जनपद बिजनौर से कन्नौज तक फ्लड प्लेन जोन के सीमांकन हेतु कोर्डिनेट (Latitude/Longitude) के निर्धारण के कार्य से सम्बन्धित डाटा उपलब्ध कराने की वांछना की गई है, (संलग्नक-02) उक्त डाटा उपलब्ध कराये जाने हेतु इस खण्ड द्वारा विभिन्न एजेंसियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक प्रयास किये जा रहे है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड-II, मुरादाबाद


अधिसासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड मुरादाबाद

कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद

पत्रांक:- 797 / बाखमु / मा0 एन0जी0टी0, आदेश कुमार यादव,

दिनांक:- 02/04/24

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 603 / 2023 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 603 / 2023 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में अनुपालन आख्या पत्र के साथ संलग्न कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

का0 / (मानवेन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी
मुरादाबाद
5/10

संख्या एवं दिनांक: तदैव

प्रतिलिपि-

1. मुख्य अभियन्ता, (पूर्वी गंगा), सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, मुरादाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बौद्ध बिहार, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

का0 / (मानवेन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी
मुरादाबाद
5/10



FD MBD <fdmoradabad@gmail.com>

Data Requirement FPZ-Ramganga

1 message

Anil Kumar Lohani <aklnih@gmail.com>
To: FD MBD <fdmoradabad@gmail.com>
Cc: Jagadish Patra <patra.nih@gmail.com>

Tue, Jul 2, 2024 at 10:04 AM

Sir,
The data requirement for the study is attached.

With best regards,
Dr Anil Kumar Lohani

Scientist 'G' & Head Surface Water
Hydrology Division

National Institute of Hydrology, Roorkee

Roorkee -247667

Uttarakhand, India

Tel: +91-1332-249312

Fax: +91-1332-272123, 273976

 **FPZ-Data Requirements.docx**
13K

Data Requirement for Flood Plain Zone Delineation of River Ramganga

Following data are required for the study Flood Plain Zone Delineation of River Ramganga

- 1 Annual maximum peak discharge/ daily discharge data series of available gauging sites of Ramganga river (Moradabad, Bareilly , Dabri, Ramnagaretc.)
- 2 HFL at G&D sites or other locations.
- 3 Surveyed river cross-section at different locations
- 4 Digital Elevation Model (DEM)
- 5 Alignment of existing embankments with top level